

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री करण सिंह नेताम, प्र०अ०	BG 5814	शास. उमावि चितौरा, तहसील गोहद जिला भिण्ड	23030723204	जबलपुर
2	श्री हिमांशु अवस्थी, सहा०शि०	BB 6382	शास प्रा०वि० रायश्री ब्लॉक जिला शिवपुरी	23060146403	इन्दौर
3	श्री गोपाल शर्मा, सहा०शि०	AQ 6917	शास. प्राथमिक विद्यालय रूपरा वि०ख० गरोठ जिला मंदसौर	23190206501	रतलाम
4	श्रीमती सरस्वती ठाकुर, उ०श्रे०शि०	AX 9114	शास. उमावि गौर नगर जिला सागर	23111077706	भोपाल
5	श्री भुवनलाल कृपाल, प्र०अ०	AS 8719	शास. माध्यमिक विद्यालय दिया जिला पन्ना	23100315901	बालाघाट
6	श्री पिरते सिंह तोमर सहा०शि०	AI 7562	शास प्रा०शा० बुलगारा बदनावर जिला धार	23250108001	खरगोन
7	श्री किरण कुमार कुलकर्णी, सहा०शि०	AO 4277	शास श्री वल्लभ भाई पुरुषार्थी कन्या प्रा०शा० खण्डवा	23290712902	इंदौर
8	श्रीमती मंजूलता राय, सहा०शि०	AX 9973	शास प्राथमिक शाला पृथ्वी वार्ड देवरी जिला सागर	23110622501	जबलपुर
9	श्री अनार सिंह बन्डोड, उ०श्रे०शि०	AO 4415	जनपद शिक्षा केन्द्र छैगांव माखन जिला खण्डवा	2329030BS02	खरगोन
10	श्रीमती शीला लखेरा, सहा०शि०	AN 6136	शास प्राथमिक शाला सर्रा जिला कटनी	23380211401	सतना
11	श्री देवाराम गौड, प्र०अ०	AI 4413	शास माध्यमिक विद्यालय बरगांव जिला दतिया	23050108403	ग्वालियर
12	श्री दयाराम वर्मा, सहा०शि०	BB 5878	शास उमावि रन्नौद जिला शिवपुरी	23060377702	अशोकनगर
13	श्री राजेश डोंगरे, सहा०शि०	AO 4723	शास प्राथमिक विद्यालय दोदवाडा संकल सिहाडा जिला खण्डवा	23290703101	खरगोन
14	श्री कन्हैयालाल बैरागी, प्र०अ०	BA 1539	शास प्रा०वि० बटावदा जिला शाजापुर	23220801801	देवास




15	श्रीमती बिन्दु जैन, प्र०अ०	BF 6200	शास कन्या उमावि सिरोंज जिला विदिशा	23310677702	भोपाल
16	श्रीमती प्रेमलता रघुवंशी, सहा०शि०	AM 2236	शास बालक प्राथमिक शाला नई कटनी	23380215601	भोपाल
17	श्री बृजेश मोहन श्रीवास्तव, प्र०अ०	BD 8750	शास०मा०वि०बडेरा जिला दतिया (वर्तमान में पाठयपुस्तक निगम भोपाल अंतर्गत प्र०नियु.)	2321070DS03 (ए.पी.सी ई एण्ड आर उज्जैन)	उज्जैन
18	श्री यज्ञभान चर्मकार, शिक्षक	BC 6333	शास पूर्व मा०वि० डोडकी वि०ख० देवसर, जिला सिंगरौली	23500201402	रीवा
19	श्रीमती शैलबाला पाठक, प्र०अ०	AA 4239	शास. माध्यमिक शाला झिरी, जिला बुरहानपुर	23480207502	भोपाल
20	श्री सुरेशचन्द्र रावत, प्र०अ०	AR 7083	शास. मा०वि० कैमाराकलॉ जिला मुरैना	23020700406	श्यापुर
21	श्रीमती साफिया सुहैल, सहा०शि०	BF 1884	शास प्राथमिक विधालय वार्ड-4, गंजबासौदा विदिशा	23310128313	भोपाल
22	श्री रामपाल दिनकर, सहा०शि०	AI 4337	शास. बालक प्रा०वि० गठी जिला दतिया	23050126804	ग्वालियर
23	श्रीमती सुनीता करवाडिया, सहा०शि०	AU 9594	शास. कन्या उमावि संकुल होशंगाबाद	23370311801	शाजापुर
24	श्रीमती सुमन कुशवाह, सहा०शि०	BB 6835	शास. उत्कृष्ट उमावि क्रमांक-1 शिवपुरी	23060177701	भोपाल
25	श्री राजेन्द्र सिंह बुन्देला सहा०शि०	AK 8512	शास प्राथमिक विधालय डोंगरपुर मुरार जिला ग्वालियर	23040512601	टीकमगढ़
26	श्रीमती मिथलेश बुन्देला, सहा०शि०	AK 8148	शास प्राथमिक विधालय रेशम मिल बिरला नगर ग्वालियर	23040511501	टीकमगढ़
27	श्री रामस्नेही रायपुरिया, शिक्षक	AS 5572	शास उत्कृष्ट उमावि क्रमांक-1 नीमच	23180777701	भोपाल
28	श्री विनोद कुमार कहार, सहा०शि०	AL 8734	शास प्राथमिक शाला सेमरीहरचंद जिला होशंगाबाद	23370514404	नरसिंहपुर
29	श्री रघुवीर सिंह अहरवाल, उ०श्रे०शि०	BK 4166	शास. उमावि शिवपुरा जिला राजगढ़	23300328301	सिवनी
30	श्रीमती मीनाक्षी सोनकर, प्र०अ०	AT 4019	शास प्राथमिक शाला कोहनी जिला पन्ना	23100321601	सागर
31	श्री तरुण कुमार गांगुली, सहा०शि०	AN 5659	शास. प्राथमिक शाला छहरी जिला कटनी	23380212801	जबलपुर
32	श्रीमती निर्मला काले (इन्दूरकर) सहा०शि०	AM 3621	शास. प्राथमिक विधालय कालपुरा देपालपुर इंदौर	23260318201	उज्जैन
33	श्री रमेशचन्द्र भागेरिया, सहा०शि०	AQ 8822	शास माध्यमिक विधालय कैलाशपुरा जिला मंदसौर	23190103302	उज्जैन
34	श्रीमती शान्ता मिश्रा, प्र०अ०	AB 1124	शास. कन्या माध्यमिक शाला वि०ख० बुदनी जिला सीहोर	23330200128	भोपाल

उक्त जिला संघर्षीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाय ।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशः में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


(अरुण कोचर) 14/7/12
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 13-7-2012

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/132/अं.जि.स्था./2011-12/1314
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला-भिण्ड/जबलपुर/शिवपुरी/इंदौर/मंदसौर/रतलाम/सागर/भोपाल/शहडोल/सतना/पन्ना/बालाघाट/खण्डवा/खरगोन/अशोकनगर/शाजापुर/देवास/विदिशा/कटनी/दतिया/उज्जैन/सिंगरौली/रीवा/बुरहानपुर/मुरैना/शयोपुर/ग्वालियर/होशंगाबाद/टीकमगढ नीमच/नरसिंहपुर/राजगढ/सिवनी/सीहोर/धार/खरगोन म०प्र०।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड/जबलपुर/शिवपुरी/इंदौर/मंदसौर/रतलाम/सागर/भोपाल/शहडोल/सतना/पन्ना/बालाघाट/खण्डवा/खरगोन/अशोकनगर/शाजापुर/देवास/विदिशा/कटनी/दतिया/उज्जैन/सिंगरौली/रीवा/बुरहानपुर/मुरैना/शयोपुर/ग्वालियर/होशंगाबाद/टीकमगढ नीमच/नरसिंहपुर/राजगढ/सिवनी/सीहोर/धार/खरगोन म०प्र०।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भिण्ड/जबलपुर/शिवपुरी/इंदौर/मंदसौर/रतलाम/सागर/भोपाल/शहडोल/सतना/पन्ना/बालाघाट/खण्डवा/खरगोन/अशोकनगर/शाजापुर/देवास/विदिशा/कटनी/दतिया/उज्जैन/सिंगरौली/रीवा/बुरहानपुर/मुरैना/शयोपुर/ग्वालियर/होशंगाबाद/टीकमगढ नीमच/नरसिंहपुर/राजगढ/सिवनी/सीहोर/धार/खरगोन म०प्र०।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी/.....म०प्र०।
की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त 137
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


क्रमांक / स्था.3 / सी-2 / 135 / अं.जि.स्था. / 2011-12 / 1315

भोपाल, दिनांक 13-7-2012


/ आदेश /

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सम्पत्थ एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संतोष मालवीय, सहा०शि०	BA 5242	शास प्राथमिक विधालय पंथपिपलई जिला उज्जैन	23210103701	शाजापुर
2	श्रीमती मीना वाल्मीकि, सहा०शि०	AY 4952	शास प्राथमिक शाला डुगासरा संकुल सानोधा सागर	23111008302	नरसिंहपुर
3	श्री अनिल कुमार दुबे, सहा०शि०	AE 2727	शास उत्कृष्ट उमावि जिला बैतूल	23350377701	होशंगाबाद
4	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव सहा०शि०	AT 4996	शास बालक गोहरगंज जिला रायसेन	23340408801	भोपाल
5	श्री एन.एल.रोहित, प्र०अ०	AY 4768	शास बालक माध्यमिक शाला मण्डी बामौरा, बीना, सागर	23110414109	ग्वालियर
6	श्री हरिओम शर्मा, सहा०शि०	BH 6841	शास प्रा०शा० क्रमांक-7 देवास	23230135616	भोपाल
7	श्रीमती अंजना रावत, सहा०शि०	AX 8725	शास प्रा०शा० बम्होरी बीका सागर	23111009402	इन्दौर
8	श्री विनोद कुमार रावल, सहा०शि०	AO 5912	शास मा०वि० लालपुरा गुर्जर बडवाह जिला खरगोन	23271300202	इंदौर
9	श्री गजेन्द्र सिंह परिहार, सहा०शि०	AS 9051	शास मा०वि० भितरी मुटमुरू संकुल उमावि कल्दा पन्ना	23100405701	रातना
10	श्री अशोक कुमार कोष्ठी, सहा०शि०	BD 7440	शास प्रा०शा० नदनवारा वि०ख० जतारा टीकमगढ	23080200401	दमोह
11	श्री गोकुल सिंह चौहान, प्र०अ०	BH 4960	शास मा०वि० सिंगावदा जिला देवास	23230106604	खरगोन
12	श्रीमती रेखा भार्गव, सहा०शि०	BD 2097	शास. प्राथमिक शाला मौँची, जिला टीकमगढ	23080215101	छतरपुर
13	श्रीमती रंजुला श्रीवास्तव, सहा०शि०	BD 8387	शास प्राथमिक शाला नयापुरा बडनगर जिला उज्जैन	23210300135	इन्दौर
14	श्री रामनिवास दोनेरिया, सहा०शि०	BA 7793	शास प्रा०शा० भूतकछा वि०ख० विजयपुर जिला श्योपुर	23010825001	मुरैना

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मा नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करा जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो, तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाय।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


(अरुण कोचर) 131

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 13-7-2012

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/135/अं.जि.स्था./2011-12/1316
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

5. कलेक्टर, जिला-उज्जैन/शाजापुर/बैतूल/होशंगाबाद/सागर/ग्वालियर/पन्ना/सतना/टीकमगढ़/दमोह/छतरपुर/श्योपुर/मुरैना/नरसिंहपुर/रायसेन/भोपाल/देवास/इंदौर/खरगोन म0प्र0 ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उज्जैन/शाजापुर/बैतूल/होशंगाबाद/सागर/ग्वालियर/पन्ना/सतना/टीकमगढ़/दमोह/छतरपुर/श्योपुर/मुरैना/नरसिंहपुर/रायसेन/भोपाल/देवास/इंदौर/खरगोन म0प्र0 ।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन/शाजापुर/बैतूल/होशंगाबाद/सागर/ग्वालियर/पन्ना/सतना/टीकमगढ़/दमोह/छतरपुर/श्योपुर/मुरैना/नरसिंहपुर/रायसेन/भोपाल/देवास/इंदौर/खरगोन म0प्र0 ।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी.....म0प्र0 ।
की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

(Signature)
आयुक्त 12/17

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

(Signature)

क्रमांक/स्था.3/सी-2/136/अं.जि.स्था./2012/1319

भोपाल, दिनांक 13-7-2012

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री मांगीलाल पंजराया, सहा०शि०	BM 7596	शास० माध्यमिक विद्यालय कारोदा बदनावर जिला धार	23250108304	उज्जैन


- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्दस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुरितिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाय।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।

कृ.पृ.उ.



- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं कि जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें ए कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह के समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



(अरुण कोचरे) 13/7

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13-7-2012

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/136/अं.जि.स्था./2012/1320
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला- धार/उज्जैन म0प्र0।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला धार/उज्जैन म0प्र0।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग इंदौर/उज्जैन मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- धार/उज्जैन म0प्र0।
9. संबंधित श्री मांगीलाल पंजराया शास0 माध्यमिक विद्यालय कारोदा बदनावर जिला धार म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.3 / सी-2 / 137 / अं.जि.स्था. / 2012 / 1321

भोपाल, दिनांक 13-07-2012

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री चंद्रभूषण वैष्णव, सहा०शि०	AI 7772	शास प्राथमिक विद्यालय बामदाखुर्द जिला धार	23250110001	इन्दौर
2	श्री निर्भय सिंह राजावत, प्र०अ०	BH 1870	जिला शिक्षा केन्द्र देवास	2323010DS03	उज्जैन
3	श्री राम स्वरूप कतरौलिया, सहा०शि०	AI 6788	शास प्राथमिक विद्यालय सुन्दरपुरा दतिया	23050232001	भिण्ड
4	श्री जय प्रकाश शर्मा, सहा०शि०	AT 7604	शास प्राथमिक विद्यालय रानीपुरा जिला रायसेन	23340119801	होशंगाबाद
5	श्री योगेन्द्र कुमार नरवरियाँ सहा०शि०	AA 3037	शास प्राथमिक शाला हताईखेडा जिला भोपाल	23320305004	भिण्ड
6	श्री अनन्त राम शर्मा, प्र०अ०	AT 9231	शास प्रा०शा० रंगपुरा केसरी खरवई जिला रायसेन	23340519001	भोपाल
7	श्री शरद. के. नाग, सहा०शि०	BA 1897	शास बालक मा०वि० झाँकर जिला शाजापुर	23220621503	उज्जैन
8	श्रीमती गीता पटल, सहा०शि०	BO 2516	शास प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर जिला उमरिया	23150906001	रीवा
9	श्री हीरा नाथ राम भगत प्र०अ०	AI 5042	शास प्राथमिक विद्यालय नयाखेडा जिला दतिया	23050120501	शहडोल
10	श्री दिनेश्वर राम निकुंज, प्र०अ०	AI 5078	शास माध्यमिक विद्यालय नयाखेडा जिला दतिया	23050120502	शहडोल
11	श्री महेन्द्र सिंह दोहरे, सहा०शि०	BB 1138	शास प्राथमिक विद्यालय बिल्लहारी, शिवपुरी	23060802601	भिण्ड
12	श्रीमती मंगला पाण्डे, स०शि०	AQ 6724	शास बालक उभावि जिला मंदसौर	23190402201	नीमच


2/

उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

कृ.पृ.उ.

- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाय।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



(अरुण कोचर) 1317
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 13-7-2012

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/137/अं.जि.स्था./2012/1322
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

5. कलेक्टर, जिला-धार/इंदौर/देवास/उज्जैन/दतिया/भिण्ड/रायसेन/होशंगाबाद/भोपाल/शाजापुर/उमरिया/रीवा/शहडोल/शिवपुरी म0प्र0 ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला -धार/इंदौर/देवास/उज्जैन/दतिया/भिण्ड/रायसेन/होशंगाबाद/भोपाल/शाजापुर/उमरिया/रीवा/शहडोल/शिवपुरी /मंदसौर/नीमचम0प्र0 ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/भोपाल/होशंगाबाद/रीवा/शहडोल मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- धार/इंदौर/देवास/उज्जैन/दतिया/भिण्ड/रायसेन/नीमच/होशंगाबाद/भोपाल/ शाजापुर/उमरिया/रीवा/शहडोल/शिवपुरी/मंदसौर म0प्र0 ।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी..... म0प्र0
की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



आयुक्त 13/17

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



